न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/143/2022 वाद दायर दिनांक 20.12.2022

उनवान

1. राजकुमार उर्फ राजमल पिता उदयलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

वादी

बनाम

1. नारायणलाल पिता भूरा चमार, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. किशनलाल पिता नारायणलाल जटिया (चमार), आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार कपासन एवं उपपंजीयन अधिकारी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः 31.07.2024

—:निर्णयः—

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का दिनांक 24.01.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि—

1. यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 12.10.2019 के अपंजीकृत इकरार नामें पर आधारित है व उक्त दस्तावेज अस्तित्व में नही है कि श्रेणी में आता है जिससे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं हैं।
2. यह कि दिनांक 22.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 2 वाद वर्णित आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार नही था। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 किसी प्रकार का विक्रय इकरार निष्पादित करने का अधिकार नहीं था जिससे उक्त इकरार झुठा व मिथ्या है उसके आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त मिथ्या इकरार मात्र भविष्यवृति संविदा है जो विधित शुन्य है व ऐसे दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।
3. यह कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं न ही उक्त इकरार से प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार से विबन्धित है। वादी द्वारा मात्र अप्रत्यक्ष रूप से इकरार पालना की गरज से श्रीमान् न्यायालय में वाद पत्र पेश किया है जिसका अधिकार क्षेत्र न्यायालय को नहीं है। इकरार पालना के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय ही निर्णय कर सकता है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:15 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया–

1- 2009(1) RRT 638 Board of Reveue For Rajasthan, Ajmer
'Jagdish Narayan & Ors. Vs. Radhey Shyam & Ors.'-

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 7 नियम 11– वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि पर खातेदारी होने की घोषणा चाही तथा वाद अनरजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट पर आधारित है–एग्रीमेण्ट के आधार पर खातेदारी की घोषणा की क्षेत्राधिकारिता नहीं है– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं चाही लेकिन यह अनुमतिशुदा कब्जा है– अनरजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट के आधार पर खातेदारी का दावा नहीं किया जा सकता–वाद के प्रारम्भिक स्तर पर भी वाद खारिज किया जा सकता है– समवर्ती निष्कर्ष– निर्णीत, आदेश में अवैधता अथवा त्रुटि नहीं है।"

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद वर्णित आराजीयात का ईकरार लिखा व उसके बाद उक्त वाद वर्णित आराजीयात किसी अन्य से मिलाभगती कर बेचान करने पर आमादा है उक्त ईकरार दिनांक 22.10.2019 को नोटेरी पब्लिक से नोटरी हुआ है जिससे वादी घोषणा का वाद पेश किया है जो चलने योग्य है।

2. यह कि प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होकर उक्त वाद वर्णित जमीन पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर काश्त कर रहा था तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी 1 का पुत्र होने से वाद वर्णित जमीन का ईकरार किया है जो सही है। प्रतिवादी नारायण ने वादी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 264 सन 2022 थाना कपासन अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120 बी भादस में दर्ज कराई जिसमें थाना कपासन से एफ0आर0 संख्या 112 सन 2022 देकर अदम वकवा झूठा माना है जिससे वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना पडा है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद वर्णित आराजीयात का ईकरार वादी के पक्ष में लिखा है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को भी पक्षकार बनाया है तथा वाद वर्णित सम्पत्ति रेवेन्यु रेकार्ड व कृषि जमीन होने से न्यायालय आप को उक्त प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया कि वादी द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत खातेदारी का वाद पत्र पेश किया गया है जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय को नहीं है, अतः वादपत्र खारिज फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि कृषि जमीन होने से वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:15 IST
Reason: SelfAttested

श्रवणाधिकार न्यायालय आप को है, अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 सव्यय खारिज फरमाया जावे। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि वाद वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड थी, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के पक्ष में लिखा इकरार नामा अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादपत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:15 IST
Reason: SelfAttested